श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)

जोबनेर, जिला जयपुर (राज.) 303329

फोन नं. 01425–254022 (का.), ई–मेलः dean.skncoa@sknau.ac.in

वेबसाइटः https://skncoa.sknau.ac.in

डॉ. एम. आर. चौधरी

अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष (कृषि)

क्रमांकः एफ. ( )/सीएस/श्रीकनकृमवि/2024/1902 दिनांकः 25/11/2024

सीमित नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उद्यान विभाग, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर में वर्ष 2024–25 के लिए महाविद्यालय के उद्यान फार्म पर बेर के 320 फलदार पौधों के फलों की खुली बोली द्वारा नीलामी की जायेगी। अतः इच्छुक व्यक्ति दिनांक 09.12.2024 को दोपहर 12:00 बजे श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर पर मौके पर उपस्थित होकर बोली लगा सकते हैं। नीलामी सूचना को संपूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
2. समिति संयोजक/सदस्य/लेखाशाखा, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
3. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट www.sknau.ac.in & SPP Portal पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. मैसर्स..
5. मैसर्स..
6. मैसर्स..
7. महाविद्यालय सूचना पट्ट
8. तहसील कार्यालय एवं नगरपालिका कार्यालय, जोबनेर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु
9. रक्षित फाईल

अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष

नीलामी सम्बन्धी शर्तों का विवरणः–

1. प्रत्येक बोलीदाता बोली लगाने से पूर्व समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
2. बोलीदाता अपना आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करें।
3. बोली लगाने वाले बोलीदाता को बोली लगाने से पहले रूपये 5000/– (अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र) धरोहर राशि जमा करवानी होगी। जिस बोलीदाता के नाम अंतिम बोली छूटेगी जिसका 50 प्रतिशत मौके पर जमा करवानी होगी जिसमें धरोहर राशि नीलामी राशि में समायोजित कर ली जायेगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि एक माह में महाविद्यालय में जमा करानी होगी। अन्य बोलीदाताओं की धरोहर राशि उसी दिन बोली पूर्ण होने पर लौटा दी जायेगी।
4. बोली छूटने के बाद 31.03.2025 तक उपरोक्त उत्पादों पर सफल बोलीदाता का अधिकार होगा।
5. नीलामी में भाग लेने का अधिकार केवल धरोहर राशि जमा करवाने वाले व्यक्तियों का ही होगा। अंतिम बोली को छोडने या नहीं छोडने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
6. बोली छूटने के बाद बोलीदाता को नीलामी का आधी राशि उसी दिन सायं 4.00 बजे कार्यालय में जमा करवानी होगी तथा शेष आधी राशि बोली छूटने के एक माह के अंदर जमा करानी होगी।
7. जिस व्यक्ति के नाम बोली छूटेगी वह अन्य व्यक्ति को ठेका नहीं दे सकेगा।
8. फलों का निरीक्षण बोलीदाता स्वयं फील्ड में जाकर अवश्य कर लें।
9. उपरोक्त उत्पाद को फार्म से बाहर ले जाते समय फार्म मैनेजर से गेटपास लेना जरूरी होगा।
10. प्राकृतिक आपदा (आंधी, तूफान, बारिश, ओले इत्यादि) की स्थिति होने पर फलोत्पादन में होने वाली मात्रात्मक एवं गुणात्मक कमी की महाविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
11. फलों की तुडाई, परिवहन कार्य आदि के दौरान किसी भी श्रमिक का अंग भंग होने, घायल होने या अन्य घटना होने की स्थिति में ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।
12. सफल निविदादाताओं को पौधों के थाले बनाना व सिंचाई का कार्य स्वयं के स्तर पर करना होगा तथा इस हेतु महाविद्यालय द्वारा मजदूरी नहीं दी जायेगी।
13. सफल निविदादाता को बगीचे में लगने वाले खाद, उर्वरक व पेस्टीसाइड आदि महाविद्यालय द्वारा दिये जायेंगे तथा इनको पौधों में देने का कार्य निविदादाता करेगा।
14. सफल निविदादाता बेर के बगीचों की चौकीदारी स्वयं करेगा एवं बगीचे में की जाने वाली फसलों की चौकीदारी भी निविदादाता की होगी।
15. निविदादाता द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों की किसी भी क्षति की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
16. सफल निविदादाता को 100/– रूपये का नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र संपादित करना होगा।
17. बगीचों में लगे पौधों में किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होनी चाहिए, यदि क्षति होगी तो निविदादाता को समिति द्वारा तय जुर्माना देना पडेगा।
18. महाविद्यालय फार्म पर कॉलेज भवन, हॉस्टल सहित अन्य भवन, फार्म उपकरण तथा अन्य कीमती सामान है, उनकी क्षति व चोरी आदि नुकसान की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा किसी भी नुकसान या क्षति का समिति द्वारा तय जुर्माना निविदादाता को देना होगा।
19. यदि निविदादाता महाविद्यालय के संसाधन जैसे बिजली मोटर, फार्म उपकरण, पाइप, स्प्रेयर आदि का उपयोग करता है कि उन सभी के रखरखाव व सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
20. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर नीलामी निरस्त कर संबंधित व्यक्ति की धरोहर राशि जब्त की जा सकती है।
21. फलों की तुडाई/बेचान कार्यालय समय सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक फार्म प्रभारी/प्रबंधक की देखरेख में करनी होगी।
22. निविदादाता के मजदूर व स्वयं फार्म पर मदिरा व अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे और न ही किसी अन्य को करने देगे।
23. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के आर्बीटेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष